महेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्या 248/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 397 व 229 नम्बर की जमाबन्दी में मेरा नाम गलती से महेशचन्द पुत्र ग्यारसा हो गया है जबकि मेरा सही नाम महेश कुमार यादव पुत्र ग्यारसी लाल यादव है। अन्य दस्तावेजात में भी मेरा नाम महेश कुमार यादव ही है कि मैं इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत में निवेदन किया कि खाता संख्या 397 व 229 नम्बर की जमाबन्दी में मेरा नाम गलती से महेशचन्द पुत्र ग्यारसा हो गया है जबकि मेरा सही नाम महेश कुमार यादव पुत्र ग्यारसी लाल यादव है। अन्य दस्तावेजात में भी मेरा नाम महेश कुमार यादव ही है। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को ग्राम महापुरा तह0 सांगानेर में स्थित खाता संख्या 397 व 229 में महेशचन्द पुत्र ग्यारसा के स्थान पर महेश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल एवं लालचन्द पुत्र ग्यारसा के स्थान पर लालचन्द पुत्र ग्यारसीलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:35:40 IST
Reason: SelfAttested